न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर

<u>अग्रिम जमानत संख्या–517/2026</u>

(घोघरडीहा थाना कांड संख्या–127/2024; अन्तर्गत धाराः 30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम रामरती देवी

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
24.06.2026	वाद पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित हुये। बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता जय किशन यादव द्वारा एक अग्रीम जमानत वापसी आवेदन दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को प्राप्त करायी गयी है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन करते है कि अनुसंधान में पुलिस पदाधिकारी द्वारा आवेदिका को मुदालह नही बनाया गया है। अब आवेदिका को पुलिस से गिरफ्तारी की कोई आशांका नहीं है। अतः आवेदिका अपना अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेना चाहते है। अभियोजन द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया। सुना। उभयपक्ष के निवेदन के आलोक में आवेदिका **रामरती देवी** के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को आवेदन वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 24.06.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर	

Scanned with CamScanner